2023 | 163

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट   **बनाम**   **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री धीरेन्द्र असारसा
निवासी रोज व्यू
आबूपर्वत
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**   मुकदमा नं. 47 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.09.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 17.07.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि आबूपर्वत में किसी भी प्रकार के कस्ट्रक्शन को बैन करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, एन.जी.टी., संभागीय आयुक्त एवं मोनिटरिंग कमेटी के द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति एवं यदि यह निर्णय उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिया गया है, तो उसकी प्रमाणित प्रति एवं आबूपर्वत में कन्स्ट्रक्शन मेटेरियल जैसे रेत, ईट, सीमेन्ट इत्यादि केवल उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी टोकन के आधार पर ही आयात किए जाएगें, उस आदेश की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 17.07.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि आबूपर्वत में किसी भी प्रकार के कस्ट्रक्शन को बैन करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, एन.जी.टी., संभागीय आयुक्त एवं मोनिटरिंग कमेटी के द्वारा जारी आदेशों की प्रमाणित प्रति एवं यदि यह निर्णय उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिया गया है तो उसकी प्रमाणित प्रति एवं आबूपर्वत में कन्स्ट्रक्शन मेटेरियल जैसे रेत, ईट, सीमेन्ट इत्यादि केवल उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी टोकन के आधार पर ही आयात किए जाएगें, उस आदेश की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Bellw (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner